

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

पटना—15, दिनांक—

संख्या—पर्या० / वन—07 / 2007—

/ प०व०ज०प०, विभागीय अधिसूचना सं०—1045(ई०),

दिनांक—19.12.17 द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 (2003 का 18) की धारा— 22(I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा—22 (4) (क) एवं 22 (4) (ख) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों की नियुक्ति की गयी है। उक्त के क्रम में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के विशेषज्ञ सदस्यों का मनोनयन निम्न प्रकार किया जाता है :—

- | | | |
|-----|---|-------|
| (1) | श्री पी० आर० सिन्हा,
सेवानिवृत, निदेशक,
भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं कन्द्री
रिप्रेजेन्टेटिव आई० यू० सी० एन०, इंडिया,
राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद के सदस्य। | सदस्य |
| (2) | डॉ० द्विजेन्द्र नाथ सिंह,
सेवानिवृत,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अरुणाचल प्रदेश एवं पूर्व सदस्य सचिव,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,
नई दिल्ली। | सदस्य |
| (3) | श्री आर०बी० सिंह,
सेवानिवृत, निदेशक,
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण,
बिहार, पटना। | सदस्य |
- बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /—

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

राजू छापा

ज्ञापांक:- पर्या० / वन—07 / 2007—

/ प०व०ज०प०, पटना 15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 200 सौ प्रतियाँ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना का उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— पर्यां०/वन—०७/२००७—

/ प०व०ज०प०, पटना १५, दिनांक.....

प्रतिलिपि:— सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, सी०जी०ओ० कम्पलैक्स, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ५व०० तल्ला, टाईसेल, बीयो पार्क, सी०एस०आई०आर० रोड, तारामणी, चिन्नई—६००११३, तमिलनाडू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः— पर्यां०/वन—०७/२००७—

/ प०व०ज०प०, पटना १५, दिनांक.....

प्रतिलिपि:— मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री एवं राज्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः— पर्यां०/वन—०७/२००७— १३३। (१००) / प०व०ज०प०, पटना १५, दिनांक.....

23/09/19

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/अध्यक्ष/सचिव/सभी पदेन सदस्यों/सभी विशेषज्ञ, सदस्य/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुबोध कुमार चौधरी
सरकार के संयुक्त सचिव।

१३३। २३-९-१९